GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Group II)

No.1(2)DOP/A-II/10 Jaipur, Dated: 17-04-2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Technical Education (Engineering) Service Rules, 2010, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Rajasthan Technical Education (Engineering) Service (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of rule 14.**- In the existing rule 14 of the Rajasthan Technical Education (Engineering) Service Rules, 2010 hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression "Lecturer enumerated in the Schedule must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 37 years", shall be substituted by the expression "Lecturer/Librarian/PTI/Head of Department/Principal enumerated in the Schedule-I must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 37 years for the post of Lecturer/Librarian/PTI and 55 years for the post of Head of Department and Principal", shall be substituted.

3. **Substitution of rule 24.**- The existing rule 24 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"24 Scrutiny of Applications.- The Commission shall scrutinize the applications received by it. The applications which are found to be incomplete and have not been filled up in accordance with the instructions issued by the commission shall be rejected at initial stage. The commission shall permit provisionally the rest of candidate to appear in the examination. No candidate shall be admitted to the examination unless he/she holds a certificate of permission to the examination granted by the Commission. Before appearing in the examination, the candidate should ensure his/her eligibility in respect of age and educational qualifications and experience etc. as provided in these rules. Being allowed to take examination shall not entitle the candidate to presumption of eligibility. The Commission shall scrutinize later on the applications of such candidates only as it found suitable for appointment before preparing the list under rule 25:

Provided that the decision of the Commission regarding the eligibility or otherwise of a candidate shall be final."

4. Insertion of rule 24A.- After the rule 24, so substituted and before the existing rule 25 of the said rule, the following new rule 24A shall be inserted, namely:-

"24A. Scheme of Examination and Syllabus.- (1) The written examination for direct recruitment to the post in the service shall be conducted by the Commission as per scheme specified in Schedule-II.

(2) The Commission shall not recommend a candidate who has not appeared in any paper of the written examination or interview."

5. Amendment of rule 40.- In rule 40 of the said rules,-

(i) the existing clause (ix) shall be renumbered as clause (x); and

(ii) after the existing clause (viii) and before the clause (x), so renumbered, the following new clause (ix shall be inserted, namely:-

"(ix) The Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales for Government Polytechnic College Teachers, Librarians and Physical Training Instructors) Rules, 2010, as amended from time to time; and"

6. Substitution of SCHEDULE.- The existing SCHEDULE appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"SCHEDULE – I

S. No.	Name of the post	Method of recruitment with percentage	Minimum qualification and experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum qualification and experience for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Director	100% by promotion	---	Principal/ Joint Director	3 years' experience on the posts mentioned	--

					in column number 5.	
2.	Principal/ Joint Director	100 % by direct recruitment	Qualifications as applicable for the post of Head of Department (mentioned in column 4 of S.No. 3) and Ph.D. in Engineering; and Minimum of 10 years' relevant experience in Teaching/ Research/ Industry out of which at least 3 years shall be at the level of Head of Department or equivalent. **or** Qualifications as applicable for the post of Head of Department (mentioned in column 4 of S.No.3); and Professional practice of 10 years as certified by the Council of Architecture.	----	-----	--
3.	Head of Department (Engineering/Architecture)/ Assistant Director	100 % by direct recruitment	Bachelor's and Master's Degree of appropriate branch in Engineering / Technology with First Class or equivalent either Bachelor's or Master's level; and Minimum of 10 year's relevant experience in Teaching/ Research/ Industry. **Note:** In case of Architecture Professional practice of 10 years as certified by the Council of Architecture shall also be considered valid. **or** Bachelor's and Master's Degree of appropriate branch in Engineering/ Technology with First Class or equivalent either	----	----	--

			Bachelor's or Master's level and Ph.D. or equivalent, in appropriate discipline in Engineering/ Technology and; Minimum of 05 years' relevant experience in Teaching/ Research/ Industry. **Note:** In case of Architecture Professional practice of 5 years' as certified by the Council of Architecture shall also be considered valid.			
4	Lecturer/ Assistant Training and Placement Officer/ Academic Officer	100% by direct recruitment	Bachelor's Degree in Engineering/Technology in the relevant branch with First Class or equivalent. If the candidate has a Master's degree in Engineering/ Technology, First Class or equivalent is required at Bachelor's or Master's level. **or** First Class Master's Degree in appropriate subject with first class or equivalent at Bachelor's or Master's level for teaching posts in Humanities & Sciences	---	---	--
5	Librarian	100% by direct recruitment	(i) A Master's Degree in Library Science/ Information Science/ Documentation Science or an equivalent professional degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and a consistently good academic record with knowledge of	---	---	--

			computerization of library. (ii) Qualifying in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC. (iii) However, candidates, who are, or have been awarded Ph.D. degree in accordance with the "University Grant Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree). Regulations, 2009" shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/ SLET / SET.			
6	PTI	100% by direct recruitment	(i) A Master's degree in Physical Education or Master's Degree in Sports Science with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) with a consistently good academic record. (ii) Record of having represented the University/ College at the Inter-University/ Inter-Collegiate competitions or the State and/or National Championships. (iii) Qualifying in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC. (iv) Passed the physical fitness test conducted in accordance 4.6.4 of UGC Regulations, as	---	---	--

			amended time to time; and (v) However, candidates, who are, or have been awarded Ph.D. Degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree), Regulations 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/ SLET / SET.			

Note:

(1) Equivalence for Ph.D. is based on publication of 5 International Journal papers, each journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main author and all 5 publications being in the author's area of specialization.

(2) Ph.D. shall be from a University established by law in India.

(3) In case of research experience, good academic record and books/research paper publications/IPR/patents record shall be required as deemed fit by the expert members of the selection committee. If the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to head of the department with active participation record in designing, planning, executing, analyzing, quality control, innovating, training, technical

books/research paper publications/IPR/patents etc. as deemed fit by the expert members of the selection committee.

(4) For the post of Head of the Department and Principal flair of management and leadership is essential as deemed fit by the expert member of the selection committee.

(5) If a class/division is not awarded, minimum of 60% marks is aggregate shall be considered equivalent to first class/division. If a Grade Point System is adopted the CGPA will be converted equivalent marks as below:

Grade Point	Equivalent Percentage
6.25	55%
6.75	60%
7.25	65%
7.75	70%
8.25	75%

(6) Requirement of minimum scores for academic performance indicators (APIs) and parameters of experience in recruitment to different post/equivalent posts will be governed as per prevailing AICTE guidelines at the time of recruitment.

(7) Incumbent Senior Lecturers/Workshop Superintendent is treated at par with lecturer."

7. **Addition of new SCHEDULE-II.**- After the Schedule – I, so substituted, the following new SCHEDULE-II shall be added, namely:-

"SCHEDULE-II

(See rule 24 A)

Scheme of competitive examination for the post of Principal/ Head of Department/ Lecturer

The scheme of competitive examination shall consist of written examination and interview.

(A) Written Examination:

The written examination shall consist of following paper carrying the marks the marks and time allowed, as shown against them: -

Paper	Subjects	Marks	Time
I	Subject Concerned with the post	75	3 hrs.
II	Subject Concerned with the post	75	3 hrs.
III	General Studies of Rajasthan	50	2 hrs.
Total Marks		200	

(B) Interview:

The Interview shall carry 24 marks. To the extent of 3 times of total number of vacancies (category wise), the candidates, who obtain such minimum qualifying marks in written examination as may be fixed by the Commission, shall be summoned for interview.

(C) Syllabus:

The syllabus of each paper shall be specified by the Commission, from to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit."

By order and in the name of the Governor,

(Sunil Sharma)

Joint Secretary to the Government

18/2017

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं. 1(2)डीओपी/ए–II/10 जयपुर, दिनांक : 17-04-2017

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 14 का संशोधन.**– राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 14 में विद्यमान अभिव्यक्ति "अनुसूची में प्रगणित प्राध्यापक के पदों पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी, आवेदन की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 37 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए :" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अनुसूची–I में प्रगणित प्राध्यापक, पुस्तकाल्याध्यक्ष, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, विभागाध्यक्ष और प्राचार्य के पदों पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी, आवेदन की प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम तारीख के ठीक बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और प्राध्यापक, पुस्तकाल्याध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के लिए 37 वर्ष की आयु तथा विभागाध्यक्ष और प्राचार्य के पद के लिए 55 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए :" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 24 का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"24. आवेदनों की संवीक्षा.– आयोग उसके द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा। ऐसे आवेदन, जो अपूर्ण पाये जायें और आयोग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नहीं भरे गए हों, प्रारंभिक स्तर पर अस्वीकृत किये जायेंगे। आयोग शेष अभ्यर्थियों को परीक्षा में अनंतिम रूप से उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात करेगा। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह आयोग द्वारा प्रदान किया गया परीक्षा में अनुज्ञा का प्रमाणपत्र धारित नहीं करता/करती हो। परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी को, इन नियमों में यथा–उपबंधित आयु, शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव आदि के संबंध में अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। परीक्षा देने के लिए अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा का हकदार नहीं बनायेगा। आयोग बाद में केवल ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदनों की संवीक्षा करेगा जिन्हें वह नियम 25 के अधीन सूची तैयार करने के पूर्व नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये :

परन्तु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा।"

4. नियम 24क का अंतःस्थापन.– इस प्रकार प्रतिस्थापित नियम 24 के पश्चात् और उक्त नियमों के विद्यमान नियम 25 के पूर्व निम्नलिखित नया नियम 24क अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"24क. परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण.– (1) सेवा में के पद पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोग द्वारा, अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट स्कीम के अनुसार संचालित की जायेगी।

(2) आयोग ऐसे किसी अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जो लिखित परीक्षा के किसी प्रश्नपत्र या साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हुआ हो।"

5. नियम 40 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 40 में,–

(i) विद्यमान खण्ड (ix) को खण्ड (x) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा ; और

(ii) विद्यमान खण्ड (viii) के पश्चात् और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (x) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड (ix) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(ix) राजस्थान सिविल सेवा (सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2010, समय–समय पर यथा संशोधित ; और"

6. अनुसूची का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"अनुसूची – I

क. सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित	सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	निदेशक	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	प्राचार्य / संयुक्त निदेशक	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	–
2.	प्राचार्य / संयुक्त निदेशक	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	विभागाध्यक्ष के पद के लिए लागू अर्हताएं (क. सं. 3 के स्तंभ 4 में उल्लिखित) और अभियांत्रिकी में पीएच.डी., **और**	–	–	–

			अध्यापन / शोध / उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 3 वर्ष का अनुभव विभागाध्यक्ष या समतुल्य स्तर का हो; या विभागाध्यक्ष के पद के लिए लागू अर्हताएं (क्र. सं. 3 के स्तभ 4 में उल्लिखित); और स्थापत्यकला परिषद् द्वारा प्रमाणित किये गये अनुसार 10 वर्ष का वृत्तिक व्यवसाय।			
3	विभागाध्यक्ष (अभियांत्रिकी / स्थापत्यकला) / सहायक निदेशक	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें से या तो स्नातक स्तर पर या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी या समतुल्य हो ; और अध्यापन / शोध / उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का सुसंगत अनुभव। **टिप्पण:** स्थापत्यकला के मामले में स्थापत्यकला परिषद् द्वारा प्रमाणित किये गये अनुसार 10 वर्ष का	–	–	–

			वृत्तिक व्यवसाय भी विधिमान्य माना जायेगा। या अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें से या तो स्नातक स्तर पर या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी या समतुल्य हो और अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में पीएच.डी. या समतुल्य; और अध्यापन / शोध / उद्योग में न्यूनतम 5 वर्ष का सुसंगत अनुभव। **टिप्पण:** स्थापत्यकला के मामले में स्थापत्यकला परिषद् द्वारा प्रमाणित किये गये अनुसार 10 वर्ष का वृत्तिक व्यवसाय भी विधिमान्य माना जायेगा।			
4	प्राध्यापक / सहायक प्रशिक्षण और नियोजन अधिकारी / शैक्षणिक	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी की सुसंगत शाखा में प्रथम श्रेणी या समतुल्य के साथ स्नातक डिग्री। यदि अभ्यर्थी के पास अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी में कोई	—	—	—

	अधिकारी		स्नातकोत्तर डिग्री है तो स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी या समतुल्य अपेक्षित है; या मानविकी एवं विज्ञान में अध्यापन पदों के लिए या तो स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी या समतुल्य के साथ समुचित विषय में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री ।			
5	पुस्तकाल्याध्यक्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	(i) पुस्तकालय विज्ञान / सूचना विज्ञान / प्रलेखीकरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या 55 प्रतिशत अकों के साथ कोई समतुल्य वृत्तिक डिग्री (या जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी जाती है वहां अंक–मान (point scale) में समतुल्य ग्रेड) और पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण के ज्ञान के साथ लगातार अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड। (ii) इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय	–	–	–

			अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य किसी एजेंसी द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर के परीक्षण में अर्हित होना; और (iii) तथापि, उन अभ्यर्थियों को जो "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानदण्ड और प्रकिया) विनियम, 2009" के अनुसार पीएच.डी. डिग्री धारक हैं या जिन्हें प्रदत्त की गयी है, उन्हें नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्त की अपेक्षा से छूट दी जायेगी।			
6.	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	(i) शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री में या कीड़ा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री में कम से कम 55 प्रतिशत अंक (या जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी जाती है वहां अंक–मान (point scale) में समतुल्य ग्रेड) साथ ही लगातार अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड ;			

			(ii) अन्तर विश्वविद्यालय / अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिताओं या राज्य और / या राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने का रिकार्ड। (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य किसी एजेंसी द्वारा इस प्रयोजन के लिए संचालित राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षण में अर्हित होना ; (iv) समय–समय पर यथासंशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 4.6.4 के अनुसार संचालित शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण उतीर्ण; और (v) तथापि, उन अभ्यर्थियों को, जो "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानदण्ड एवं प्रकिया) विनियम, 2009" के अनुसार पीएच.डी. डिग्री धारक हैं या जिन्हें प्रदत्त की			

			गयी है, उन्हें नेट/स्लेट/ सेट की न्यूनतम पात्रता की शर्त की अपेक्षा से छूट दी जायेगी।			

टिप्पण :

(1) पीएच.डी. के लिए समतुल्यता, 5 अन्तर्राष्ट्रीय जरनल पत्रों के प्रकाशन पर आधारित है, प्रत्येक जरनल 2.0 से अनधिक का आकलित प्रभाव सूचक रखता हो, अवलंबी मुख्य लेखक के रूप में हो और समस्त 5 प्रकाशन लेखक की विशेषज्ञता के क्षेत्र के हों।

(2) पीएच.डी. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हो।

(3) शोध अनुभव के मामले में अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड और पुस्तकें/शोध पत्र प्रकाशन/आई.पी.आर/पेटेन्ट अभिलेख, जो चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा ठीक समझा जाये, अपेक्षित होगा। यदि उद्योग में अनुभव को विचार में लिया जाये तो वह डिजाइनिंग, आयोजना, कियान्वयन, विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, नवीनीकरण, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध पत्रों के प्रकाशन/आई. पी.आर/पेटेन्ट आदि में, जो चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा ठीक समझा जाये, सकिय भागीदारी अभिलेख के साथ विभागाध्यक्ष के समतुल्य प्रबधंक स्तर का होगा।

(4) विभागाध्यक्ष और प्राचार्य के पद के लिए प्रबंध और नेतृत्व की ऐसी विशिष्ट योग्यता आवश्यक है जो चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा ठीक समझी जाये।

(5) यदि कोई श्रेणी/डिविजन प्रदान नहीं की जाती हो तो कुल मिलाकर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों को प्रथम श्रेणी/डिविजन के समतुल्य माना जायेगा। यदि

कोई ग्रेड अंक प्रणाली अपनायी जाती है तो सी.जी.पी.ए. को समतुल्य अंकों में निम्नप्रकार से परिवर्तित किया जायेगा।

ग्रेड अंक	समतुल्य प्रतिशत
6.25	55 प्रतिशत
6.75	60 प्रतिशत
7.25	65 प्रतिशत
7.75	70 प्रतिशत
8.25	75 प्रतिशत

(6) विभिन्न पद/समतुल्य पदों पर भर्ती में शैक्षणिक उपलब्धि सूचकों (शै.उ.सू.) के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों की अपेक्षा और अनुभव के मापमान भर्ती के समय विद्यमान अ.भा.त.शि.प. के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार शासित होंगे।

(7) अदलंदी वरिष्ठ प्राध्यापक/कार्यशाला अधीक्षक को प्राध्यापक के समतुल्य माना जायेगा।"

7. **नयी अनुसूची–II का जोड़ा जाना.–** इस प्रकार प्रतिस्थापित अनुसूची–I के पश्चात् निम्नलिखित नयी अनुसूची–II जोड़ी जायेगी, अर्थात् :–

"अनुसूची–II

(नियम 24क देखिए)

प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/प्राध्यापक/पुस्तकालाध्यक्ष/शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम

प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा।

(क) **लिखित परीक्षा :**

लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र अन्तर्विष्ट होंगे जो उनके सामने दर्शाये गए अंकों और अनुज्ञात समय के होंगे :–

प्रश्न पत्र	विषय	अंक	समय
(I)	पद से संबंधित विषय	75	3 घण्टे
(II)	पद से संबंधित विषय	75	3 घण्टे
(III)	राजस्थान का सामान्य अध्ययन	50	2 घण्टे
कुल अंक		200	

(ख) साक्षात्कार :

साक्षात्कार 24 अंकों का होगा। रिक्तियों की कुल संख्या के 3 गुना की सीमा तक (प्रवर्गवार) उन अभ्यर्थियों को, जो लिखित परीक्षा में ऐसे न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करें जो आयोग द्वारा नियत किये जायें, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

(ग) पाठ्य विवरण :

आयोग द्वारा समय–समय पर प्रत्येक प्रश्न का पाठ्य विवरण विनिर्दिष्ट किया जायेगा और अभ्यर्थियों को नियत समय में ऐसी रीति से, जो आयोग ठीक समझे, सूचित किया जायेगा।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

18/2017